

भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

**OFFICE ORDER NO. 51 OF 2011**

Attention is invited to Office Order No. 15 of 2011 regarding endorsing copies of circular/orders to the office of MR & MSRs.


Instances have however come to notice, wherein Circulars, Notifications, Transfer/Posting orders and various other types of orders/instructions meant for general circulation have not been marked to MSR(M) cell leading to uncalled inconvenience and embarrassment.

2. All concerned are advised, to invariably endorse without fail, copies of all Circulars, Office Orders, other Orders, Letters, Notifications, Transfer/Posting orders, etc to Ministers' Secretariat i.e MR, MSR/M & MSR/B ( PS & EDPG or OSD as the case may be).

3. Any lapse in this regard would be viewed seriously.

No:-2011/O&M/2/1

Date:-26/07/2011

  
(P.P.Sharma)

Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office/Metro Bhawan, Pragati Maidan.  
Issue(D) and Central Registry for ensuring delivery of such orders/instructions.

Copy for information to:-

EDPG/MR, OSD(MR) and PS/MR  
PS/MSR(M) & EDPG/MSR(M)  
PS/MSR(B) & EDPG/MSR(B)

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

2011 का कार्यालय आदेश सं. 51


रेल मंत्री एवं रेल राज्य मंत्रियों के कार्यालय को परिपत्र/आदेशों की प्रतियां पृष्ठांकित करने के संबंध में 2011 के कार्यालय आदेश सं. 15 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बहरहाल, कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं, जिनमें सामान्य जानकारी के लिए परिपत्रित किए जाने वाले परिपत्रों, अधिसूचनाओं, स्थानांतरण/तैनाती आदेशों एवं अन्य विभिन्न किस्मों के आदेशों/अनुदेशों को रेल राज्य मंत्री (एम) कक्ष को मार्क नहीं किया गया, जिससे अनावश्यक असुविधा और परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. अतः सर्वसंबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि सभी परिपत्रों, कार्यालय आदेशों, अन्य आदेशों, पत्रों, अधिसूचनाओं, स्थानांतरण/तैनाती आदेशों आदि की प्रतियां मंत्रियों के सचिवालय अर्थात् रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री/एम एवं रेल राज्य मंत्री/बी (निजी सचिव एवं कार्यपालक निदेशक जनशिकायत अथवा विशेष कार्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो) को बिना किसी चूक के निरपवाद रूप से पृष्ठांकित की जाएं।

3. इस संबंध में होने वाली किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

सं. 2011/ओ एंड एम/2/1-ए  
दिनांक: 26.07.2011

  
(पी.पी. शर्मा)  
संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि बोर्ड कार्यालय/मेट्रो भवन, प्रगति मैदान में सभी अधिकारियों और शाखाओं को प्रेषित।  
ईशु (डी) और केन्द्रीय रजिस्ट्री को ऐसे आदेशों/अनुदेशों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए।